<u>हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड,धर्मशाला -176213</u>

क्रमांकःहि.शि.बो. (19)संचालन-1 (शुल्क सारणी)/June,2016-37235-255 दिनांकः 14/5/16

## " अधिसूचना "

अधिसूचित किया जाता है कि मार्च, 2016 में संचालित मैट्रिक तथा जमा दो की वार्षिक परीक्षा में जिन नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम Compartment घोषित किया गया है, ऐसे परीक्षार्थी जून माह में संचालित की जाने वाली कम्पार्टमैंट परीक्षा के लिए अपने प्रवेश पत्र सम्बन्धित विद्यालयों के माध्यम से दिनांक <u>31-05-2016 तक Online</u> भर सकते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मैट्रिक कक्षा के जो परीक्षार्थी English only तथा Matric व 10+2 कक्षाओं के जो परीक्षार्थी Additional subject/s विषय तथा Improvement of performance हेतु परीक्षा देना चाहते हैं, उनकी परीक्षा भी कम्पार्टमैंट परीक्षार्थियों के साथ ही <u>जून माह</u> में संचालित करवाई जाएगी, जिसके लिए परीक्षार्थी निम्नलिखित निर्धारित शुल्क के साथ अपना आवेदन कम्पार्टमैंट व अंक सुधार की स्थिति में सम्बन्धित विद्यालय के माध्यम से ऑन-लाईन तथा English Only और Additional subject/s की परीक्षा हेतु पंजीकृत डाक/दस्ती तौर पर बोर्ड कार्यालय में दिनांक 31.5.2016 तक पंहुचा/जमा करवा सकते हैं, उसके उपरान्त कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगाः-

| S.N. | Subject | Class | Fee Rs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Compartment | Matric/+2 | 350/- |
| 2 | English only/One additional subject | Matric/+2 | 350/- |
| 3 | Two or more additional subjects | Matric/+2 | 550/- |
| 4 | Improvement one or more subjects | Matric/+2 | 550/- |

बोर्ड द्वारा सितम्बर, 2016 में केवल राज्य मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थियों की परीक्षाएं ही संचालित की जायेगी ।

सचिव

पृष्ठाकंन संख्याः यथोपरि।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/सचिव।
2. अतिरिक्त सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
3. समस्त उप सचिव/सहायक सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
5. प्रभारी, डाटा सैन्टर को इस निर्देश से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की प्रति बोर्ड वैबसाईट पर अपलोड करें।
6. लोक सम्पर्क अधिकारी, स्कूल शिक्षा बोर्ड को इस निर्देश से प्रेषित है कि इस सम्बन्ध में जनहित की जानकारी हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस नोट जारी करने बारे ।

सचिव